बिहार सरकार (राज्य योजना)

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/निदे0 छात्रावास(नि0/म0)–05–42–37/2014 – 45

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 26.09.16

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना से राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय, महकार, गया में 560 आसन वाले नये आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–135 दिनांक–30.01.2015 द्वारा दिये गये प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹1755.00 लाख (सत्रह करोड़ पचपन लाख रूपया) मात्र के आलोक में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक–पुलिस–3/479 पार्ट–2 HQ 858/पटना दिनांक–24.02.2016 द्वारा Centage Charge एवं Consultant Fee आदि के प्रावधान को प्राक्कलन में सन्निहित कर उपलब्ध करायी गयी पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹189686200/–(अठारह करोड़ छियानवे लाख छियासी हजार दो सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की स्वीकृति।

आदेश :–**स्वीकृत**।

2– इस योजना के लिए योजना मद के भवन निर्माण विभाग के निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा ।

योजना आय–व्यय शीर्ष मांग संख्या–03 मुख्य शीर्ष "4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजींगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन–लधु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना–उपशीर्ष–0101–अनुसूचित जाति के भवन–विषय शीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य" विपत्र कोड सं0–P4059017890101" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

4– इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग , बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे। वे राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0 एल0 ए0 खाता संख्या–157 में स्थानान्तरित करेगें। प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस निर्माण निगम, पटना द्वारा राशि व्यय करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगे एवं इसकी सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को देगें।

5– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

6– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

7– प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति, विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

8– स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9– इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

26.9.16

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1 / निदे0 छात्रावास(नि0 / म0)–05–42–37 / 2014 415 पटना,दिनाक– 26.09.16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग / प्रधान सचिव, निगरानी विभाग / पुलिस महानिदेशक, बिहार / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / बिशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार / कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग / निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / संबंधित उप निदेशक, कल्याण / संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

sanction mahkar 2016